न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 05/20 — **निर्णय दिनांकः–** 3-2-21
(जीसीएमएस संख्या 2020/00021)

1. चन्द्रशेखर रंगा पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी बीकानेर हाल चक 15 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. दलीप कुमार रंगा पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी बीकानेर हाल चक 15 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. धनराज रंगा पुत्र श्री हीरालाल जाति ब्राहमण निवासी बीकानेर हाल चक 15 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. वीरो कौर पत्नी लाल सिंह जाति महजबी सिख निवासी चक 15 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला
दिनांक 23–07–2019

उपस्थितः–

1. श्री सुभाष बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 23–07–2019 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी आदेश पारित करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील खाजुवाला के चक 13 केवाईडी (बी) के मुरब्बा नम्बर 137/04 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि चक चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्र 117/53 के किला नम्बर 1 ता 8, 16, 25 तादादी 10 बीघा कमाण्ड भूमि स्थिति है। जिस पर वह चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 से होकर मुरब्बा नम्बर 137/04 के किला नम्बर 21 ता 25 व चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/60 के किला नम्बर 21 ता 25 से अपने किला नम्बर 5 में प्रवेश करती आ रही है व मुरब्बा नम्बर 137/12 व 117/60 में कटानशुदा रास्ता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 ता 25 में से 02—02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने दिनांक 23—07—2019 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पारित करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 ता 25 में से 02—02 बिस्वा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील बिना रिपोर्ट मंगवाये रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आता—जाता है और मौके पर रास्ता काफी समय से चल रहा है जबकि वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु विद्यमान में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:04:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तथ्यों को साबित करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है वह अपीलार्थी के खेत में से आता–जाता है। जबकि चकप्लान के अनुसार सभी खाताधारकों को उनकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की सुविधा प्रदान की जाती है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या हल्का पटवारी से मंगवाई जानी अपरिहार्य है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि पत्रावली मे शामिल तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत् भूमि तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा व कब तैयार की गई व किसकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई, इसका कोई विवेचन अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो कोई मौका निरीक्षण किया ना ही मौके की कोई रिपोर्ट मंगवाई गई। केवल मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए उसके आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251 ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ।। में यह स्पष्ट रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है अतः न्यायहित में अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्व की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु निर्धारित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई गौर किये बिना उक्त प्रार्थना पत्र यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया गया कि पत्रावली में अंतिम निर्णय लिया जा चुका है अतः पत्रावली में अंतिम निर्णय होने के बाद पुनः विचारण किया जाना न्यायसंगत नहीं है। जबकि विधि द्वारा यह प्रकिया बनाई गई है, जिसके अनुसार यदि किसी प्रकियात्मक त्रूटि के कारण आदेश पारित किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में सीपीसी के उपरोक्त प्रावधानों के तहत पुनः सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4\. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/53 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

किला नम्बर 1 ता 8, 16 व 25 में 10 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट अपने खेत में चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/12 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 से होकर मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 ता 25 व चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/60 के किला नम्बर 21 ता 25 से अपने किला नम्बर 5 में प्रवेश करती आ रही है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मुरब्बा नम्बर 137/12 व 117/60 में रास्ता पूर्व से ही स्वीकृत चला आ रहा है, जबकि मुरब्बा नम्बर 137/4 में रास्ता सहवन से कटने से रह गया तथा उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं होने के कारण अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा दिन–प्रतिदिन तंग व परेशान करने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से मौका रिर्पोट प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित आईएलआर से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 ता 25 में से प्रत्येक में 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त मौके पर चालू रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उक्त रास्ते से किसी को नुकसान नहीं होना है।

प्रकरण में अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट/अप्रार्थी को अदालत मातहत द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत रजिस्टर्ड नोटिस जारी करते हुए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किये जाने के बावजूद वे अदालत [illegible] समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष आदेश 9 नियम [illegible] धारा 151

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया को अपनाते हुए आदेश पारित करते हुए कथन किया कि चूंकि प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिक प्रकिया के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होते हुए अदालत मातहत के किस आदेश को चुनौती दी गई है, साबित करने में असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार स्वयं मौका निरीक्षण करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. **(1)** हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 में 25 के प्रत्येक में 02–02 बिस्वा पूर्व से पश्चिम सींव पर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर पूर्व में रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया के तहत अपीलांट को न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:04:37 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित आने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, परन्तु रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही सम्पादित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(3) प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रास्ते के मामलों में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार के आदेश पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर निरीक्षण व रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है।

(4) प्रस्तुत मामलें में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्श के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/12 के 1, 10, 11, 20 व 21 में से 02–02 बिस्वा व चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/60 के किला नम्बर 21 ता 25 में से 02–02 बिस्वा रास्ता पूर्व में ही उपलब्ध होने व चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 ता 25 में से कटाणी रास्ता स्वीकृत नहीं होने की दशा में पर रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि चक 15 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 117/53 में आवागमन हेतु चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में पूर्व से पश्चिम सींव पर 02–02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है।

(5) प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 117/53 41 के किला नम्बर 1 ता 8, 16 व 25 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

(6) धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में भू–अभिखेक निरीक्षक से मौक निरीक्षण व रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

(7) हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर चक चक 13 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 137/4 के किला नम्बर 21 ता 25 में में 02–02 बिस्वा पूर्व से पश्चिम से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 23—07—2019 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 3-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.15 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested